प्रेषक,

जितेन्द्र मिश्रा(उच्चतर न्यायिक सेवा)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–03, मीरजापुर।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा:– मा0 जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर।

विषय:– उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश संख्या–ओ.3143/2–बी–1968 लखनऊ,11 दिसम्बर, 1968 के प्रावधानानुसार घोषणा।

महोदय,

विषयांकित के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि मेरे द्वारा सूचना का अधिकार विषय पर पुस्तक प्रकाशित कराये जाने की अनुमति हेतु पत्र माननीय न्यायालय को प्रेषित किया गया था। उक्त पर न्यायिक अधिकारियों के पोर्टल पर यह आपत्ति प्राप्त हुई है कि उसमें सन्दर्भित शासनादेश के अन्तर्गत घोषणा प्रेषित की जाये।

उपरोक्त के अनुपालन में विषयांकित शासनादेश के प्रावधानानुसार मैं निम्नलिखित घोषणा प्रेषित कर रहा हूँ:–

1– मेरी प्रस्तावित पुस्तक पर सरकार, की मुद्रणानुज्ञप्ति अंकित नहीं होगी।

2– मेरी पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर मेरा (लेखक का) नाम दिया जायेगा, पर उसके साथ मेरा सरकारी पद नाम नहीं दिया जायेगा। किन्तु पुस्तक के बहिरावरण पर, जिसमें जनता को लेखक का परिचय दिया जाता है, उसमें मेरा सरकारी पद नाम दिया जा सकता है, जैसा कि उपर्युक्त शासनादेश में प्रावधानित है।

3– मेरी पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर अथवा किसी अन्य उपयुक्त स्थल पर मेरे नाम से यह उल्लेख कर दिया जायेगा कि पुस्तक में वर्णित लेखक के विचारों और टीका टिप्पणियों की पूरी जिम्मेदारी मेरी है और पुस्तक के प्रकाशन से सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

4– मेरे द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पुस्तक में तथ्य अथवा मत सम्बन्धी कोई ऐसा कथन नहीं है, जिसमें राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी की किसी वर्तमान अथवा हाल की नीति या कार्य की कोई प्रतिकूल आलोचना की गयी हो।

5– मेरी पुस्तक, मेरे द्वारा अपनी नौकरी के दौरान प्राप्त ज्ञान की सहायता से लिखी गयी है, किन्तु यह सरकारी नियमों, विनियमों और अथवा कार्यविधियों का संग्रह मात्र नहीं है, परन्तु सम्बन्धित विषय पर मेरे अध्ययन को प्रकट करती है।

उपरोक्त घोषणा माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रेतर आदेशार्थ सादर प्रस्तुत करने की कृपा करें।

I. No. 1591/I
Dated 12.07.2021

अग्रसारित

जनपद न्यायाधीश
मीरजापुर

सादर!

भवदीय,
10/07/2021

दिनांक–10.07.2021

(जितेन्द्र मिश्रा)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,